दिनांक 21–09–2016 को मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1– श्री शत्रुघन सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री सी0 एस0 नपलच्याल, सचिव/आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
4– श्री अरविन्द सिंह हयांकी, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– श्री अनिल रतूड़ी, ए0डी0जी0, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड।
6– श्री आर0 के0 तोमर, संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– श्रीमती महीमा, उपसचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
8– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9– श्री राजीव कुमार मेहरा, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
10– श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून।
11– श्री आर0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
12– श्री के0पी0 उप्रेती, वरिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
13– डा0 आभा ममगई, निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
14– श्री नवनीत पाण्डेय, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
15– श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
16– श्री बी0एस0 रावत, अपर निदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17– श्री डी0बी0 सिंह, अपर आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।
18– श्री पी0सी0 गर्ब्याल, अपर आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।
19– श्री रमेश सिंह, उप आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।

मा0 परिवहन मंत्री जी को अवगत कराया गया कि रिट याचिका संख्या–295/2012 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश की अध्यक्षता मे एक सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा राज्यों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में उठाये जा रहे कदमों की समय–समय पर समीक्षा करते हुए निर्देश पारित किये जाते हैं। इसी क्रम में मा0 समिति द्वारा दिनांक 10–08–2016 (प्रति संलग्न) को 14 बिन्दुओं को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रस्तुत करते हुए समयबद्ध अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों तथा गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

1– मा0 सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 10–08–2016 में दिये गये निर्देशों (प्रति सभी विभागों को पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है और इस कार्यवृत्त के साथ भी पुनः संलग्न की जा रही है) पर दिनांक 30–09–2016 तक कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन आख्या परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं शासन में परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

2– मा0 समिति द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अनिवार्य रूप से आहूत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्त आदेशों का

कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी एक कलैण्डर वर्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की कम से कम 02 बैठकें अवश्य सम्पन्न हों।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

3— यद्यपि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाहियों के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, परन्तु मा0 समिति द्वारा की गयी अपेक्षानुसार उक्त अनुश्रवण समिति एवं लीड एजेन्सी का पृथक होना आवश्यक है। लीड एजेन्सी द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एवं मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक लीड एजेन्सी का गठन किया जाए, जिसमें परिवहन आयुक्त कार्यालय में सृजित 02 निःसंवर्गीय सहायक निदेशक के अतिरिक्त प्रत्येक सम्बन्धित विभाग (Stake holder) यथा—लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, शहरी विकास विभाग, आबकारी विभाग, चिकित्सा विभाग से एक—एक अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400 या उच्चतर वेतन) पूर्णकालिक रूप से तैनात किया जाए। लीड एजेन्सी का कार्यालय परिवहन आयुक्त कार्यालय में होगा, जिसमें मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की तैनाती परिवहन विभाग के कार्मिकों अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी। उक्त लीड एजेन्सी सड़क सुरक्षा के मामलों में अधिकार प्राप्त होगी, जो राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एवं मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित को निर्देश दे सकेगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश तत्काल निर्गत किया जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभागों द्वारा लीड एजेन्सी में अधिकारियों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।

(कार्यवाही— लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, शहरी विकास विभाग आबकारी विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त)

4— यद्यपि राज्य में उत्तराखण्ड शहरी परिवहन निधि नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें अन्य कार्यों के साथ—साथ सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य की भी व्यवस्था की गई है, परन्तु उक्त कोष का उपयोग केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित है। अतः मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में पृथक से "राज्य सड़क सुरक्षा कोष" का गठन किया जाए, जिसमें परिवहन विभाग/पुलिस विभाग द्वारा चालानों के प्रशमन से प्राप्त किये जा रहे प्रशमन शुल्क में से 25 प्रतिशत धनराशि जमा की जाएगी। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रारम्भ में उक्त कोष में रूपये 2.00 करोड़ की धनराशि कार्पस फण्ड से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त कोष में उपलब्ध धनराशि का उपयोग लीड एजेन्सी की संस्तुति पर किया जाएगा। इस हेतु कोष स्थापना का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही— गृह विभाग, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त)

5— राज्य में दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिये भी हैल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त नियम का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि राज्य के पैट्रोल पम्पों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से यह निर्देश प्रसारित किये जाएं कि

दुपहिया वाहन चालकों को ईंधन की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चालक एवं पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा हैल्मेट पहना हो। यह सुनिश्चित करने के लिये पैट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी लगाये जाने पर भी विचार कर लिया जाए।

(कार्यवाही–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त)

6– राज्य में चालक लाईसेन्स जारी किये जाने की व्यवस्था को सुदृढीकृत करते हुए देहरादून कार्यालय में केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित 'सारथी 4.0' व्यवस्था लागू कर दी गयी है। वर्तमान में उक्त साफ्टवेयर के कस्टमाईजेशन की कार्यवाही अन्तिम चरण में हैं। इस समबन्ध में निर्देश दिये गये कि कस्टमाईजेशन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित 'सारथी 4.0' व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए।

(कार्यवाही–परिवहन आयुक्त)

7– राज्य में व्यवसायिक वाहन चालकों को प्रत्येक लाईसेन्स नवीनीकरण के समय दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त प्रशिक्षण को और अधिक सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए। यह भी प्रयास किये जाएं कि दूरस्थ स्थानों पर रह रहे वाहन चालकों को उक्त रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु देहरादून न आना पड़े। इस हेतु प्रत्येक जनपद में ही रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु कैम्प लगाकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त)

8– राज्य में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु अन्य उपायों के साथ–साथ ओवर स्पीडिंग/ओवर लोडिंग/नशे की हालत में वाहन चलाने/बिना सीट बैल्ट/बिना हैल्मेट के वाहन चलाने वाले एवं चलती वाहन में मोबाईल का प्रयोग करने वाले चालकों के लाईसेन्सों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये हैं। यद्यपि दिनांक 01–09–2015 से 31–08–2015 तक 2441 लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है परन्तु उसके सापेक्ष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः निर्देश दिये गये कि मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और उक्त प्रकार के अपराध करने वाले चालकों को कम से कम 03 माह के लिये वाहन चलाने से अनर्ह किया जाए।

(परिवहन विभाग, गृह विभाग, समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड)

9– मा0 समिति द्वारा आबकारी विभाग द्वारा की गयी अधिसूचना दिनांक 25–02–2016 के क्रम में शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से 100 मीटर दूर शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पर्वतीय जनपदों में 100 मीटर की दूरी अपेक्षाकृत अधिक है, अतः मा0 समिति से उक्त नियम में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध कर लिया जाए। जहॉ तक मैदानी क्षेत्रों पर स्थित दुकानों को हटाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि आबकारी विभाग द्वारा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर स्थापित शराब की दुकानों को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में तत्काल कार्ययोजना प्रस्तुत करें ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर कोई लाईसेन्स जारी न किया जा सके। यह भी निर्देश दिये गये कि

शहरी क्षेत्रों में आवंटित शराब की दुकानों के परिसर में चल रही कैन्टीन को भी आगामी वर्ष से समाप्त किया जाए।

(आबकारी विभाग, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड)

10— सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से सिनेमाघरों में प्रत्येक शो से पहले 30 सेकण्ड की फिल्मों का प्रदर्शन करने हेतु यद्यपि विभाग द्वारा वीडियो क्लिपिंग बनायी गयी थी, जिनका फार्मेट सिनेमाघरों के अनुरूप न होने के कारण उनका प्रदर्शन सिनेमाघरों में नहीं किया जा सका, परन्तु लोकल टीवी नैटवर्क पर उनका प्रदर्शन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि परिवहन आयुक्त एवं मैसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 के साथ सड़क सुरक्षा क्लिपिंग बनाये जाने हेतु एक एम0ओ0यू0 किया जा रहा है, जिसके उपरान्त उक्त फिल्मों का प्रदर्शन सिनेमाघरों, रेलवे स्टेशन, मोटर डीलर्स एवं अन्य पब्लिक प्लेस पर किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि भारत सरकार से यह भी अनुरोध कर लिया जाए कि सभी टीवी चैनलों को भी इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन हेतु निर्देशित किया जाए और टीवी चैनलों के लाईसेन्स जारी/नवीनीकरण के समय इसे लागू कराया जाए।

(कार्यवाही—मनोरंजन कर विभाग, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त)

11— उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के स्तर पर कार्ययोजना तैयार करते हुए सम्नवित कार्ययोजना लागू की गयी है। मा0 समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त कार्ययोजना में वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए और उन्हें पूरा करने हेतु वित्तीय व्यवस्था भी की जाए, तद्नुसार कार्ययोजना संशोधित करने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में सभी विभाग अपनी—अपनी कार्ययोजना में वर्षवार लक्ष्यों, वित्तीय व्यवस्था का भी समावेश करते हुए, संशोधित कार्ययोजना निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—समस्त विभाग/उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा परिषद में नामित सदस्यगण)

12— वाहन संचालन में व्यवधान कर रहे होर्डिंग्स एवं अवरोधकों तथा फुटपाथों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर पुनः सर्वे की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करते हुए वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग संयुक्त निरीक्षण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही—लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग)

13— राज्य में ब्लैक स्पॉट के सम्बन्ध में जारी प्रोटोकोल में भी मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किया जाए। इसके अतिरिक्त जहॉ—जहॉ सड़कों की दशा में सुधार की आवश्यकता है, वहॉ सुधारात्मक कार्यवाही द्रुत गति से पूर्ण करायी जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं का भी अनुश्रवण किया जाए और प्राप्त कारणों के निराकरण के सम्बन्ध में भी कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाए।

(कार्यवाही—लोक निमार्ण विभाग, गृह विभाग)

14— स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने के दृष्टिगत उनके पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय को सम्मिलित किये जाने के साथ—साथ यह भी

उपयुक्त होगा कि परिवहन विभाग द्वारा एक मोबाईल वैन तैयार करायी जाए, जिसमें सड़क सुरक्षा संदेश, लघु फिल्म आदि का प्रदर्शन की व्यवस्था की जाए। उक्त मोबाईल वैन के माध्यम से छोटे स्कूली बच्चों को जागरूक किया जाए।

(कार्यवाही–शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, मनोरंजन विभाग, परिवहन आयुक्त)

15– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की गत बैठक में चालक लाईसेन्स हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा हेतु 10 परिवहन कार्यालयों में आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स एवं वाहनों की फिटनेस जॉच हेतु 06 स्थानों पर आटोमेटेड टेस्टिंग लेन (Inspection & Certification Center) की स्थापना हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे, जिसके संबंध में अवगत कराया गया कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों/परिवहन विभाग के अधिकारियें को भूमि चयन के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अभी तक उपयुक्त भूमि परिवहन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये गये कि भूमि चयन की कार्यवाही में तेजी लाई जाए।

(कार्यवाही–परिवहन आयुक्त/परिवहन विभाग, सम्बन्धित जिलाधिकारी)

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 1070 /ix–1/2016/23/2014
देहरादून, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
2– प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11– मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।